

289

Amended as per order of 15.11.54 of the Reg. Act
Aurangabad

No. 34

Certificate of Registration



The Societies Registration Act, 1860
(ACT XXI OF 1860).

Registration No. PBN-1/66

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT Shri Gurus Ganesha Shiksha
Jain Samiti At Parbhur Dist. Parbhur

on this day been duly registered under the Societies
Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand this
day of 27th Jan 1966

Assistant Registrar of Societies,
Aurangabad Region.



Shah

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

396/24
अर्जदारस्य नांव श. श. श. श.
नक्शालेख्या अर्ज आला तो दिनांक 21/6/21
नक्कल तयार कि. 10/6/21
नक्कल दिली तो दि. 21/6/21

U.P.K. - (J) Ya 18-17,600 (176 hks.) - 2.61

CERTIFICATE OF REGISTRATION

P.T. Reg. No. 19/66

No. 10847

F-238 Jalna

P. T. R. Office. Aurangabad Region
Aurangabad.

मार्कजमिक न्कस नोंयमी कार्यालय
ब्रालना विषया. जालना

Name of P. T. Shri Gurus Guresh
Sihanakwasi Jain Smarak
Saonli at Partur Dist. Parbhani

Reg. No. F-45 (Parbhani)

To whom issued Shri Phulkhar
ghamandi sam Rjo Sadar
Bayar Jalna, Dist Jalna

Date 23-4-1966
Dist Aurangabad

Copy Prepared by
Copy Read by
Copy Verified by

REGISTRATION OFFICE
AURANGABAD
Dist Aurangabad

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604


“ संस्थाकी -अवल सन्धि संपत्ति की व्यवस्था संस्थाके नियम
निम्नानुसार करना, निम्नलिखित सदस्यों की जिम्मेवारी होगी। ”



नाम	व्यवसाय	पता
श्री सेठ गुलाबचंद वचनमल सुराणा 31821	व्यापार	२५ हिसामगंज, बुलाराम (हैदराबाद)।
(२) श्री उदरराज हरकचंदजी 34824	व्यापार क्षेत्री	मु.पोस्ट - बीबीठकसील महकर (जिला-बुलढाना)।
(३) श्री भिकूलाल अमृतमल बाठिया 25422	व्यापार	परभनी (मराठवाडा)।
(४) श्री पन्नालाल धनराज जैन	व्यापार	जालना (जिला औरंगा- बाद)
(५) श्री कल्याणमल अमोलचंद जैन क३११६५६	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(६) श्री बंसी लाल फूलचंद जैन क३११६५६	व्यापार	परतूर, जिला-परभणी।
(७) श्री मुखराज भागचंद संवेती क३११६५६	व्यापार	लोणार, जिला-बुलढाना।
(८) श्री सुगन्धचंद धनराज जैन	व्यापार क्षेत्री	मु.पो.नेर, जिला - यवतमाल।
श्री मुखराज धमंडी राम जैन क३११६५६	व्यापार	जालना, जिला-औरंगाबाद
श्री घेवरचंदजी साबला	व्यापार	रविवार पेठ, नासिक (जिला नासिक)।
श्री फकीरचंद शंकरलाल	व्यापार	जामनेर, जिला - जलगांव
श्री बिरदीचंद लालचंद गेलडा	व्यापार	बोदवड, जिला - जलगांव
श्री धीरचंद हानैड	व्यापार क्षेत्री	चांदूर रैवडे, जिला - अमरावती।
श्री मानचंद लादूराम	व्यापार	कामारडडी (हैदराबाद)।
(१५) श्री जम्बूकर रेशचंदजी संवेती	व्यापार	बुलढाना।

Principal
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

10



श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर

पत्र क्रमांक 396/1
 संस्था संख्या 85/85
 दिनांक 10/6/21
 तत्काल दिली तो दि. 21/6/21

4

(1) संस्थाका नाम :- श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति।

(2) संस्थाका पूरा पता :- श्री गुरुगोष्ठा स्थानकवासी जैन स्मारक समिति,

परतूर जिल्हा - परभणी (पहलाराष्ट्र)।
 प्र. अ. 10/6/21

(3) संस्थाने उद्देश्य :- सामाजिक न्याय नोंदणी कार्यालय
 जालना विभाग जालना

- क) आईटी संस्कृति एवं सत्यता का संरक्षण, सर्वोदय, प्रचार-प्रसार करना।
- ख) जैनगमों की मूलभाषा प्राकृत, अष्टद भाषाएँ एवं प्राकृत संस्कृत राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना।
- ग) पूज्य साधु साठवीं वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिद्धार्थ स्थापित करना।
- घ) पुस्तकालय, बच्चनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय, समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।
- ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु श्राविकाश्रम का निर्धारण करना।
- च) समाज के उत्थानके लिए सत्प्रवृत्तियों एवं ग्रामोद्योगों का विकास करना।
- छ) जैन धर्मके हेतुकार भावोंको विशिष्ट छात्रवृत्तियों प्रदानकर संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्यालय तैयार करना।
- ज) स्थान-स्थान पर धार्मिक शिवालयों की व्यवस्था करना।
- झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल चालू करना।
- टा) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना।
- ड) जैनधर्म-जैन-दर्शन के अलंभ्य ग्रंथोंका संपादन, प्रकाशन करना।
- ढ) धार्मिक, आध्यात्मिक परिक्रमा का प्रकाशन करना।
- ण) संस्थाके सट्टपदेशम तपस्वी मुनि श्री मिश्री लालजी के द्वारा योस्य प्रतीत हो ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियोंका

Principal
 D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
 MEDICAL COLLEGE
 MURANGABAD - 431 604

(6)

" हम निम्नलिखित हस्ताहारकर्ता श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति को मेमोरण्डम ऑफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं । "



क्रम	नाम	पद	हस्ताहार
(१)	श्री गुलाबचंद वनमल सुराणा	अध्यक्ष	गुलाबचंद सुराणा
(२)	श्री उदेराज हरचंद रेदासणी	सुपाध्यक्ष	उदेराज हरचंद रेदासणी
(३)	श्री पुरराज धनंजीराम	सैक्रेटरी	पुरराज धनंजीराम
(४)	श्री बन्सीलाल फूलचंद जैन	असिस्टेंट सैक्रेटरी	
(५)	श्री कल्याणराज अमोलचंद जैन	कौषाध्यक्ष	कल्याणराज अमोलचंद जैन
(६)	श्री निकुलाजी उदेराजी बार्गड्या	सदस्य	निकुलाजी उदेराजी बार्गड्या
(७)	श्री पुरराज भावचंदजी सनेती	सदस्य	पुरराज भावचंदजी सनेती



दिनांक 21/6/2011

स्थान --

सहस्रिका-सुपरीकारक संस्कृत संस्थान

सहस्रिका -- (१) श्री

अध्यक्ष

स्थान परतूर जिला--परमनी)

हस्ताहार दिनांक - 29/1/66

सार्वजनिक न्याय नॉयमी कार्यलय (२) श्री Kanchubal Kesarnani Bheranadi. जालना विभाग, जालना

स्थान परतूर (जिला - परमनी) हस्ताहार

दिनांक - 21-1-66

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

Copy Prepared by

Copy Read by

Time

Copy Read by

21/6/21

(92)



श्री गुरु गणेश स्थावरवासी जैन स्मारक समिति, परतूर
के
नियमोपनियम

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

श्री गुरु गणेश स्थानवासी जैन स्मारक समिति, परतूर (जिला परमनी)



398/21
 श्री गुरु गणेश स्थानवासी जैन समाजके प्रथम तपस्वी उग्र विहारी श्री
 १००६ श्री गणेशलाल जी महाराज के सखिछ्य तपोनिष्ठ
 पं. मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज के सखिछ्य से दिनांक
 १९६५ के रोज संस्थापित.)
 21/6/21

(5)

संस्था के नियमोपनिषम

A. N. M. M.
 21/6/21
 प्रमुख अधिकारी
 जैनिक नैदानिक कार्यालय
 जालना जिल्हा :-

इस संस्था का नाम, श्री गुरु गणेश स्थानवासी जैन स्मारक समिति रहेंगे।

- १ कार्यालय :- संस्था का कार्यालय वर्तमानमें परतूर नगर जिला परमनी में रहेगा. किन्तु
 महती समा के दो विहाई सदस्यों की सम्मति से उचित स्थल पर -
 परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.
- २ धर्म :- इस संस्था का बाप प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक च्य १०
 तक ज्ञाना जायगा.
- ३ उद्देश्य :-
 (क) आर्हती संस्कृति एवं सम्यक्ताका संरक्षण, संवर्धन, प्रचार-प्रसार को
 (ख) जैनधर्मों की मूलमात्रा पाकृत, अर्द्ध भाषाधी एवं संस्कृत तथा -
 राष्ट्रमात्रा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना.
 (ग) पूज्य साधु साध्वी वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिध्दांत -
 शाळाएँ स्थापित करना.
 (घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय आदि
 समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना.
 (ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु प्राविक्षा-धर्म का निर्माण करना.
 (च) समाज के उत्थान के लिए सत्प्रवृत्तियाँ एवं सामोद्योगों का संचालन
 करना.
 (छ) जैन समाज के होनेहार छात्रों को विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ
 संस्कृत एवं प्राकृत के प्राढ विद्यालय तयार करना.
 जेनेतर धर्म प्रेमी तथा संस्कारी होनेहार व
 निर्णय इस समिति के संस्कार दक्षिण
 १००६ श्री मिश्रीलाल जी महाराज
 परम्परामें जानेवाड़े संतो

Shal.
PRINCIPAL
 D.K.M. HOMOEOPATHIC
 MEDICAL COLLEGE
 AURANGABAD - 431 004

पृष्ठ : २

(5)

- (ज) स्थान स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना.
- (झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल बालू करना.
- (ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना.
- (ट) जैनागम जैन दर्शन के अलस्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन करना.
- (ठ) धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना.
- (ड) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज को योग्य प्रतिष्ठित हो, ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन करना.
- (ड) प्रकाशन कार्य के लिए प्रेस आदि की स्थापना करना और प्रोत्साहन दे कर रचनात्मक साहित्य का निर्माण करना.

५ कार्यक्षेत्र :- संस्थाके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए जिन स्थलों पर सत्प्रवृत्तियों का संचाल किया जायगा, वे स्थल संस्थाके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेंगे.

संस्थाके सदस्योंके निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(अ) मूल आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु ५०१-०० (रुपये - पाँच हजार एक) / दिन वालोंका होगा.

(आ) आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त रु १००१-०० (रुपये - एक हजार एक) या इससे अधिक देने वालोंका समावेश होगा.

(इ) सरंहाक सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तों में ५५१-०० (रुपये पाँच सौ अक्षय) एकावन मात्र) देने वालों का सम् होगा.


(ई) आजीवन सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तोंमें ५ (रुपये पाँच सौ एक) या इससे देने वालों का समावेश होगा प्रतिवर्ष रु १०१-०० (रुपये प्रदान कर जो सज्जन रु ५०१-०० की जो सज्जन

Shal
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

आश्रयदाता सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त २५१-०० रुपये दो सौ ५२
या इससे अधिक धन देने वालों का समावेश
होगा.

(ख) वार्षिक सदस्य श्रेणी: ₹ ११-०० (रुपये ग्यारह मात्र) प्रति वर्ष
द देने वालों का इसमें समावेश होगा.

(ए) मानद सदस्य : संस्थाको बौद्धिक अथवा अन्य प्रकार की
सहायता देने वाले महानुभाव कार्यकारिणी
की सम्मति से इस श्रेणी के सदस्य बनाये जा
सकते हैं.



७ संस्थाके कार्य अंग : संस्था का कार्य सुव्यवस्थित चलाने के लिए महती सभा, कार्यकारिणी
सभा और विश्वस्त-मण्डल ये तीन अंग होंगे.

८ महती सभा : (१) नियमोपनियम कौटिका ६ के अन्तर्गत जो महानुभाव सदस्य बनें,
इन सभी का समावेश महती-सभा के सदस्य के रूप में होगा.

(२) महती सभा के निम्न लिखित कार्य होंगे :-

(अ) कार्यकारिणी-सभा, विश्वस्त-मण्डल और अन्याय पदा-
धिकारियों का निर्वाचन करना.

(आ) नियमोपनियम स्वीकृत करना.

(इ) संस्था की सम्पूर्ण सत्ता इस सभा के अधीन होगी.

(ई) महती सभा की बैठक
करेगी, किन्तु विशेष स्थिति में मंत्री या क...

एक त्रितियांश सदस्य की सम्मति से शून्य विशेष-बैठक
बुलाई जा सकती है. ऐसी बैठक बुलाने के लिए बैठक-सूचना पत्र में
स्पष्ट करना होगा.

(उ) महती सभा की वार्षिक बैठक की सूचना, पूर्व में १५ दिन
पहले दी जायगी.

(ऊ) महती सभा की बैठक के लिए कम-से-कम ग्यारह सदस्यों की
गण-पूर्ति आवश्यक होगी,

(ए) गण-पूर्ति के अभाव में बैठक आध घंटे तक स्थगित रखी जाय
तथा आध घंटे के बाद कथित बैठक उसी स्थान पर ले ली जायगी.

तब बैठक के लिए गण-पूर्ति आवश्यक न होगी. लेकिन ऐसी बैठक में
जारी किये गये बैठक-सूचनाके अलावा विचारों पर बर्बाद न होगी.

(ए) सभा कार्य हों तब तो सर्व-सम्मति से किया जायगा अन्यथा
सदस्यों के बहुमत होगा बराबर मत पडने पर अध्यक्ष को हक

ghat
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

(क) महती सभा की वार्षिक बैठक का निर्वाह स्वर्गीय पुज्य गुरु की पुण्य-तिथि माघ व १० के अवसर बुलाई जायगी, ताकि उपस्थितियों को सदुपदेष्टा, प्रखर तपस्वी दक्षिण केशरी मुनि श्री १००८ श्री मिश्री लाल जी महाराज सा. के मार्गदर्शन का अलम्य लाभ प्राप्त हो कर उद्देश्य की पूर्ति हो सके. (2)

१ कार्यकारिणी सभा : अधिकार और कर्तव्य :

(१) महती सभा द्वारा निर्वाचित ११ सदस्यों की यह सभा होगी.

(२) इस सभा की बैठक मंत्रीजी द्वारा सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष महती-सभा की बैठक के एक दिन पूर्व या आवश्यकतानुसार बीच-बीच में भी बुलाई जा सकती है.

(३) कार्यकारिणी सभा की बैठक के लिए ५ सदस्यों की मण-पति होनी चाहिए. किन्तु नियत समय तक मण-पति न हो सकी तब १ घण्टे तक बैठक स्थगित रखी जायगी और उसके बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की कार्यवाही पूरी होगी. किन्तु बैठक-सूचना पत्र में दिये गये विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

(४) महती सभा के आदेशानुसार संस्था की सनस्कृत प्रवृत्तियों का संचालन करना कार्यकारिणी सभा का उत्तरदायित्व होगा.

(५) अकस्मात् किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक अध्यक्ष महोदय उस स्थान के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं.


(६) किसी कारणवश किसी वर्ग महती सभा की वार्षिक बैठक न हो सके तब की स्थिति में वर्तमान कार्यकारिणी आगामी महती सभा की बैठक होने तक पूर्ववत् कार्य चलायेगी, और जब महती सभा की बैठक होगी उस समय आगामी वर्ष के लिए कार्यवाही होगी.

(७) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा.

महती सभा में प्रत्यक्ष विचार पद्धति से किया जायगा.

(८) संस्था के वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, इन्हें वेतनवृद्धि करना, आर्गंडर की नियुक्ति करना और उन्हें वेतन देना, ये कार्य कार्यकारिणी के कक्ष में होंगे.

(९) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमोपनियम तयार करना और उनका अंतिम संस्करण के लिए महती सभा के समक्ष प्रस्तुत करना कार्यकारिणी का कर्तव्य है.



Principal
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

(११) कार्यकारिणी सभा के ^{पदाधिकारी} पदाधिकारी महती सभा के भी पदाधिकारी होंगे.

१० विश्वस्त मण्डल : अधिकार और कर्तव्य : (13)

(१) संस्था की स्थावर जंगम सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए महती सभा द्वारा चुने गये सात स्थानवासी जैन समाज के सदस्यों का एक विश्वस्त-मण्डल होगा.

(२) संस्था की पूर्ण सम्पत्ति का प्रबंध करना अर्थात् धुवफण्ड किसी निश्चित प्रसिद्ध बैंक या पीडी पर रखना और आवश्यकतानुसार कानून की कार्रवाई करना इसी विश्वस्त-मण्डल का कार्य होगा.

(३) संस्था की ओर से कानून की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय का नियुक्त सज्जन होगा.

(४) अचानक किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक यह मण्डल किसी सज्जन की नियुक्त ट्रस्ट रूप में कर सकेगा.

(५) विश्वस्त मण्डल को अपने अध्यक्ष और मन्त्री चुनने का अधिकार है.

(६) कार्यकारिणी सभा की बैठक के अक्सर यह विश्वस्त मण्डल अपना कार्य विवरण पेश करेगा, ताकि उस आधार पर कार्यकारिणी सभा बैठक तैयार कर सके.

(७) संस्था की स्थाई रकम में से व्यय करने का अधिकार विश्वस्त या कार्यकारिणी को नहीं होगा.

(८) वास्तविक सर्व से अधिक रकम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी संस्था के लिए उस रकम को व्यय करने का अधिकार विश्वस्त-मण्डल या कार्यकारिणी को नहीं होगा. किन्तु कार्य-क्षेत्र को और अधिक विस्तार बनाने की योजना तैयार की जायेगी.

११ संस्था के पदाधिकारी : संस्था में मुख्यतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री, सहमन्त्री, व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष रहेंगे.

१२ अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्था का कार्य सुचारु और शान्ति से चलाना, संस्था की सम्पूर्ण कार्रवाई एवं सत्कृतिधियों पर ध्यान रखना, अध्यक्ष महोदय का प्रधान कर्तव्य होगा.

Shal
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

(२) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे प्रस्तावको जो अधिकारक एवं संस्था के उद्देश्य के प्रतिष्ठ हो तो बैठक

(५)

का कार्य करे, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे ऐसा करने से रोकें, या उस दिन की बैठक से उसे पृथक कर दें.

(४) संस्था सम्बंधी आवश्यक कार्रवाई करने एवं कराने का भी उन्हें अधिकार होगा. आवश्यकता पड़ने पर वे संस्था के कार्यों से सम्बद्ध कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर भी करेंगे.

(५) मंत्री विधाय पर समान मत पढ़ने पर महती समा की अध्यक्षता करने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय को एक पक्ष मत देने का अधिकार होगा.



उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : (१) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के समस्त कार्यों की देख-रेख करना और अध्यक्ष को प्राप्त सारे अधिकारों का उपयो करना तथा कर्तव्य पूर्ति करना.

१४ मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना.
- (२) अध्यक्ष महोदय की सम्मति से कार्यकारिणी बैठकें बुलवाने का प्रबंध करना.
- (३) महती और कार्यकारिणी समा में मंत्री समा की बैठकों में पारित प्रस्ताव करना.
- (४) महती समा और कार्यकारिणी समा के समस्त प्रवृत्तियों का सम्मग रूपेण संबालन करना एवं कार्य रूप देने का प्रबंध करना. मंत्री समा द्वारा संस्था का सर्वांगीण विकास करना, मंत्री का कार्य होगा.

१५ सहमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य :

- (१) मन्त्री महोदय के कार्यों में सहायता पहुँचाना.
- (२) मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति में मन्त्री महोदय को पदत अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, सहमन्त्री का कर्तव्य होगा.

१६ व्यवस्थापक के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (१) संस्थाके संबालन में अनुभव रखनेवाले, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के विशेष रूपेण अधिकारी होंगे.

Shal
PRINCIPAL
 D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
 MEDICAL COLLEGE
 AURANGABAD - 431 004

- (२) कार्यालय सम्बंधी उत्तरदायित्व का सम्मग

व्यवस्थापक का कर्तव्य होगा.

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य : (5)

- (१) संस्था का आय-व्यय व्यवस्थित रखना.
- (२) महती समा और कार्यकारिणी एवं विश्वस्त मण्डल की सम्मति से कोष की समुचित व्यवस्था करना.
- (३) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर महोदय से संस्था का आय-व्यय परीक्षित करवा कर प्रतिवर्ष कार्यकारिणी के समक्ष रखें जिससे कार्यकारिणी उसे महती समा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी.



१८ वित्त :

- (१) बैंक का व्यवहार निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी दो के हस्ताक्षरों से होगा.
या
(अ) अध्यक्ष (आ) मन्त्री (इ) कोषाध्यक्ष.

(अ)

१९ धुव फण्ड :

मूल आधार स्तंभ और आधारस्तंभ सदस्यता श्रेणियों से प्राप्त होनेवाली सदस्यता की रकम धुव फण्ड के अन्तर्गत मानी जायेगी.

२० सदस्यता रद्द :

किसतों से रकम देने वाले सज्जनों की ओर से अमर लगातार दो साल तक किसत की रकम नहीं आई, तब उनका नाम सदस्यता श्रेणी से हटा दिया जायगा और प्राप्त रकम केवल दान खाते में प्रकाशित कर दी जायगी.

२१ नियमोपनियम संशोधन: इस संविधान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का अधिकार महती समा को होगा, महती समा अपनी बैठक बुलवा कर उसे प्रदत्त अधिकारों के बीच ले करेगी.


२२

इस संविधान की मान्यता अनुसार प्रखर तपस्वी, चारित बृह उग्र विहारी, दक्षिण केशरी, जैन-धर्म दीपक, मंडित-रत्न श्री श्री १००६ श्री मिश्रीलाळजी महाराज सा, ने समाज को जागृत कर जो महदुष्कार/उसका समाज विस्मृत नहीं कर सकेगा. अतः अग्रज कार्यकारिणी समा, महती समा, विश्वस्त मण्डल एवं - इस समिति की पदाधिकारी महाराज श्री की सूचनाएँ सदैव मान्य करेगे. सांवेधकन ने यह भी निर्णय किया है कि इनके बाद इन परम्परामें इनके स्थान को इस समिति को

Shal:
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604

उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन करने का अधिकार: धुव पाठ्यक्रम में एकत्र रचयिता को अध्ययन करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा, इसके लिए उसे प्राप्त बैठक के अधिकारों का उपयोग कार्यकारिणी करे।

अनुमति



A. M. M.
21/6/2021
प. अध्यक्ष
सामाजिक न्याय नॉटिपी कार्यालय
छात्रना विभाग, जालना

21/6/2021

Copy Prepared by -
Copy Read by -
Copy Verified by -

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 604